::कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)::

जावक क्रमांक–3065/2025 उज्जैन, दिनांक– /03/2025

//ज्ञापन//

27 MAR 2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
उज्जैन, खाचरौद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर एवं तराना

विषयः– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(9) अथवा दं.प्र.सं. की धारा 173(8) के अंतर्गत पेश प्रकरणों के संबंध में

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भा.ना.सु.सं. की धारा 193(9) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिन आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही लंबित रखी गई है एवं उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। ऐसे प्रकरणों के लिए भा.ना.सु.सं. की धारा 193(9) के अंतर्गत 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। 90 दिन के पश्चात् संबंधित विवेचना अधिकारी न्यायालय को ऐसे अभियुक्तगण के विरूद्ध पूरक चालान पेश करेगा अथवा अंतिम रूप से यह सूचित करेगा कि उसके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाना है अथवा फरारी में चालान पेश किया जाना है।

भा.ना.सु.सं. की धारा 193(9) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के प्रकाश में निर्देशित किया जाता है कि इस संहिता के लागू होने के दिनांक से आज दिनांक तक आपके न्यायालय में जो प्रकरण धारा 193(9) भा.ना.सु.सं. अथवा 173(8) दं.प्र.सं. के अंतर्गत पेश किए गए हैं, उनके संबंध में तीन दिवस के अंदर–अंदर इस कार्यालय को जानकारी देने का कष्ट करें कि ऐसे प्रकरणों में 90 दिन के अंदर क्या उक्त नए प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है अथवा नहीं।

यदि विवेचना अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही वर्तमान समय तक नहीं की गई है, तब इस संबंध में संबंधित विवेचना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अपेक्षा की जाती है कि न्याय प्रशासन के हित में तत्काल ऐसी जानकारी देने का कष्ट करें।

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)